प्रेषक,

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0एस0टी0 एक्ट)
जालौन स्थान उरई।

सेवा में,

श्री विजय बहादुर यादव
अपर जिला जज/प्रभारी अधिकारी नजारत
जालौन स्थान उरई।

विषय— **माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा मुख्यालय, वाह्य स्थित न्यायालय कालपी, कोंच व जालौन तथा ग्राम न्यायालय माधौगढ़ में किये गये आकस्मिक निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।**

महोदय,

निवदेन है कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020—2021 के साथ विषयांकित कतिपय आकस्मिक निरीक्षणों की आख्या संलग्न कर मुझ तत्कालीन प्रभारी अधिकारी नजारत को दायित्वाधीन होना दर्शित किया गया है। वार्षिक प्रविष्टि के साथ संलग्न निरीक्षणों का विवरण निम्नांकित है—

1. निरीक्षण दिनांकित 31.12.2020/01.01.2021 समय रात्रि 01:20 से 04:00 बजे के मध्य
2. निरीक्षण दिनांकित 13.01.2021/14.01.2021 रात्रि समय 02:30 से 02:45 के मध्य
3. निरीक्षण दिनांकित 27.02.2020/28.02.2020 रात्रि समय 03:30 से 04:30 के मध्य तथा
4. निरीक्षण दिनांकित 23.02.2020/24.02.2020 रात्रि समय 01:00 से 04:10 बजे ।

उपरोक्त दर्शित निरीक्षणों में से कतिपय निरीक्षणों की निरीक्षण आख्या दिनांकित 31.12.2020/01.01.2021 तथा निरीक्षण आख्या दिनांकित 13.01.2021/14.01.2021 मुझ तत्कालीन प्रभारी अधिकारी नजारत के संज्ञान में कभी नहीं लाया गया और न ही उपरोक्त निरीक्षण आख्यायें मेरे समक्ष कदाचित अवलोकनार्थ कभी प्रस्तुत ही की गयी।

माननीय महोदय द्वारा प्रदत्त वार्षिक प्रविष्टि के संबंध में प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु उपरोक्त निरीक्षण आख्याओं की प्रति का अवलोकन अपरिहार्य है।

अतः निवेदन है कि संबंधित को उपरोक्त निरीक्षण आख्याओं की प्रति अविलम्ब उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेशित करें।

भवदीय

दिनांक—08.10.2021

(signature) 08/10/2021

(प्रकाश तिवारी)
ए.डी.जे./विशेष न्यायाधीश (एस0सी0एस0टी0 एक्ट.)
जालौन स्थान उरई।

C.N to comply
(signature)
8.10.2021

श्रीमान जी, निरीक्षण आख्या दिनांकित 31.12.20/1.1.21 तथा निरीक्षण 13.1.21 व 14.1.21 की प्रति न तो नजारत अभिलेखागार उपलब्ध है और न ही →

उपरोक्त दोनो कार्यवाहियों को तत्कालीन प्रभारी अधिकारी (नजारत) के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने का पृष्ठांकन उपलब्ध है।

अतएव श्रीमान् की सेवा में सादर प्रस्तुत है।

(signature)
08/10/24
CN.

Recd
28-2-2020

आकस्मिक निरीक्षण
जनपद न्यायाधीश जालौन स्थान उरई,

न्यायालय भवन व परिसर की सुरक्षा प्रणाली के जाँच व मूल्यांकन के उद्देश्य से वाह्य न्यायालय, सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट जालौन तथा जनपद न्यायाधीश आवासीय परिसर स्थित कैम्प कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण आज दिनांक 27.02.2020 / 28.02.2020 की रात्रि में मेरे द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय मेरे साथ चालक ईश्वर सिंह तथा वैयक्तिक अंगरक्षक उपस्थित रहें।

इस क्रम में सर्व प्रथम समय रात्रि 3:30–4:00 बजे के मध्य वाह्य न्यायालय, सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट जालौन के भवन व परिसर की जाँच की गई। निरीक्षण कार्यवाही के दौरान रात्रिकालीन चौकीदार कमलेश गोस्वामी तथा सुरक्षा हेतु नियुक्त होमगार्ड न्यायालय परिसर में बिस्तर लगाकर सोते हुये पाये गये, जिन्हें मौखिक रूप से सख्त चेतावनी देते हुये कर्तव्य निर्वहन के प्रति गम्भीर व सचेष्ट रहने का निर्देश दिया गया।

तत्पश्चात् समय 4.30 बजे मेरे द्वारा जनपद न्यायाधीश आवासीय परिसर स्थित कैम्प कार्यालय का भी निरीक्षण किया गया तथा दौरान निरीक्षण रात्रिकालीन चौकीदार श्रीबाबू कैम्प कार्यालय में सोते हुये पाये गये।

उपरोक्त रात्रिकालीन चौकीदारों का कृत्य अत्यन्त आपत्तिजनक, न्यायालय परिसर तथा कैम्प कार्यालय परिसर की सुरक्षा में गम्भीर चूक तथा सुरक्षा व्यवस्था जैसे अति गम्भीर व संवेदनशील मामले में उदासीनता व लापरवाही दर्शित करता है।

प्रभारी अधिकारी नजारत को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त रात्रिकालीन चौकीदारों की कार्य के प्रति उदासीनता व लापरवाही के संबंध में जरिये नोटिस स्पष्टीकरण आहूत कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं भविष्य में न्यायालय परिसर व भवन की सुरक्षा व्यवस्था में ऐसे चूक की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से नियमित अंतराल पर स्वयं व केन्द्रीय नाजिर के माध्यम से आकस्मिक निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या मेरे कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। केन्द्रीय नाजिर व सहायक/उप नाजिर स्वयं रात्रि में मुख्यालय स्थित न्यायालय परिसर व भवन का औचक निरीक्षण कर सुरक्षाकर्मी व चौकीदारों के कार्य प्रदर्शन के संबंध में लिखित रिपोर्ट प्रत्येक तीन दिन में प्रभारी अधिकारी नजारत के समक्ष प्रस्तुत करें। वाह्य स्थित न्यायालय जालौन, कालपी व कोंच के पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने–अपने संबंधित न्यायालय परिसर का रात्रिकालीन औचक निरीक्षण नियमित अंतराल पर सुनिश्चित कर अनुपालन आख्या प्रशासनिक कार्यालय को प्रेषित करें। निरीक्षण आख्या की प्रति समस्त संबंधित के मध्य समुचित सूचनार्थ व सम्यक अनुपालनार्थ परिचालित हो।

(अशोक कुमार सिंह) 28/2
जनपद न्यायाधीश,
जालौन स्थान उरई।
दिनांक 28.02.2020
District Judge
Jalaun at Orai

प्रभारी अधिकारी
जनपद न्यायालय
जालौन स्थान उरई

<u>नोटिस</u>

<u>बनाम</u>

श्री बाबू
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी,(चौकीदार)
आवासीय परिसर जनपद न्यायालय,
जालौन स्थान उरई।

दिनॉक 27.02.2020 को आपकी ड्यूटी आवासीय परिसर जनपद न्यायालय जालौन स्थान उरई में चौकीदारी हेतु समय रात्रि 10 बजे से सुबह 6.00 बजे तक नियत रही, किन्तु माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा दिनांक 27.02.2020 / 28.02.2020 की रात्रि 4:30 बजे परिसर का आकस्मिक निरीक्षण किये जाने पर आप सोते हुये मिले। आपका यह कृत्य अत्यन्त आपत्ति जनक तथा आवासीय परिसर की सुरक्षा में गम्भीर चूक है। आप द्वारा आवासीय परिसर की सुरक्षा जैसे अत्यन्त गम्भीर व संवेदनशील मामले में लापरवाही दर्शित की गई है।

अतः आप अपना लिखित स्पष्टीकरण कल दिनांक 29.02.2020 को 10.00 बजे प्रातः मुझ अधोहस्ताक्षरित/प्रभारी अधिकारी नजारत के समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न सेवा व कर्तव्य निर्वहन पर लोप व लापरवाही का दोषी मानते हुये आपके प्रतिकूल विभागीय कार्यवाही की जाय। निर्धारित समयावधि के अधीन स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने की दशा में यह उपधारित करने का पर्याप्त आधार होगा कि आपको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार कार्यवाही अग्रसारित कर दी जायेगी।

28/2/2020

(प्रकाश तिवारी)
प्रभारी अधिकारी नजारत/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(आवश्यक वस्तु अधिनियम)
जालौन स्थान उरई।
28.02.2020

श्रीमान जी
नोटिस प्राप्त किया
श्रीबाबू
28-2-2020

नोटिस

बनाम

कमलेश गोस्वामी,
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी,(चौकीदार)
वाह्य न्यायालय, जालौन।

दिनॉक 27.02.2020 को आपकी ड्यूटी वाह्य न्यायालय परिसर जालौन में चौकीदारी हेतु समय रात्रि 10 बजे से सुबह 6.00 बजे तक नियत रही, किन्तु माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा दिनांक 27.02.2020/28.02.2020 की रात्रि 3:30 बजे परिसर का आकस्मिक निरीक्षण किये जाने पर आप सोते हुये मिले। आपका यह कृत्य अत्यन्त आपत्ति जनक तथा न्यायालय परिसर की सुरक्षा में गम्भीर चूक है। आप द्वारा न्यायालय परिसर की सुरक्षा जैसे अत्यन्त गम्भीर व संवेदनशील मामले में लापरवाही दर्शित की गई है।

अतः आप अपना लिखित स्पष्टीकरण कल दिनांक 29.02.2020 को 10.00 बजे प्रातः मुझ अधोहस्ताक्षरित/प्रभारी अधिकारी नजारत के समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न सेवा व कर्तव्य निर्वहन पर लोप व लापरवाही का दोषी मानते हुये आपके प्रतिकूल विभागीय कार्यवाही की जाय। निर्धारित समयावधि के अधीन स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने की दशा में यह उपधारित करने का पर्याप्त आधार होगा कि आपको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार कार्यवाही अग्रसारित कर दी जायेगी।

(प्रकाश तिवारी)
प्रभारी अधिकारी नजारत/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(आवश्यक वस्तु अधिनियम)
जालौन स्थान उरई।
28.02.2020

श्रीमान जी
छायाप्रति नोटिस प्राप्त किया
कमलेश
28-02-2020

सेवा में,

श्रीमान प्रभारी अधिकारी महोदय

नजारत जालौन स्थान उरई

<u>विषयः— रात्रि की चौकीदारी सि0जज (जू0डि0) न्यायालय जालौन में सोते हुये पाये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरणः—</u>

मान्यवर,

<u>प्रार्थी का स्पष्टीकरण निम्नवत हैः—</u>

1— यह कि प्रार्थी शाम को 6.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक डियूटी पर रहता है।

2— यह कि प्रार्थी सदैव पूर्ण निष्ठा से अपनी डियूटी करता है।

3— यह कि दिनांक 27—02—2020/28—02—2020 की रात्रि में करीब 2.00 बजे अचानक प्रार्थी के तीव्र एसिडिटी बनने के कारण प्रार्थी ने एसिडिटी का कैप्सूल खाया और पेट में आराम मिलने के उद्देश्य से लेट गया परिणाम स्वरूप नींद आ गयी।

4— यह कि प्रार्थी भविष्य में कभी भी किसी भी परिस्थितियों में सोने की गलती नही करेगा।

5— यह कि प्रार्थी की गलती को न्यायहित में क्षमा कर एक अवसर दिया जाना आवश्यक है। प्रार्थी पुनः प्रतिज्ञा करता है कि भविष्य में कभी भी सेवा में कमी नही होगी प्रार्थी को माफ किया जायें श्रीमान जी की महान दया होगी।

"स्पष्टीकरण मान्यवर की सेवा में प्रेषित है।"

दिनांक 29—02—2020

<u>प्रार्थी</u>

कमलेश गोस्वामी

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (चौकीदार)

न्यायालय सिविल जज जू0डि0 जालौन,

जनपद जालौन

सेवामें,

श्रीमान प्रभारी अधिकारी (नजारत)

जिला जजी उरई,

महोदय

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी आवासीय परिसर में चौकीदार की ड्युटी दिनांक-27-02-2020रात्रि 10.00बजे से सुबह 6.00बजे तक की ड्युटी कर रहा था कि सुबह रात्रि सुबह 4.30बजे प्रार्थी - को जुखांम व बुखार, बदन दर्द होने के कारण जमीन पर लेट गया सुबह का वक्त था, आंख झपक गयी।

अतःश्रीमानजीसे निवेदन है कि प्रार्थी की गलती क्षमा करें, प्रार्थी भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगा।

जवाब श्रीमानजी की सेवा में सादर प्रेषित है।

प्रार्थी

श्रीबाबू

श्रीबाबू

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिला जजी उरई

जनपद जालौन

दिनांक- 29-2-2020

Sent forwarded to ... by the reason ...

29/2/2020

<u>आकस्मिक निरीक्षण</u>

<u>जनपद न्यायाधीश जालौन स्थान उरई.</u>

न्यायालय भवन व परिसर की सुरक्षा प्रणाली के जाँच व मूल्यांकन के उद्देश्य से वाह्य न्यायालय, सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट कालपी, जनपद न्यायालय जालौन स्थान उरई तथा जनपद न्यायाधीश आवासीय परिसर स्थित कैम्प कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण आज दिनांक <u>23.02.2020 / 24.02.2020</u> की रात्रि में मेरे द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय मेरे साथ चालक ईश्वर दास तथा वैयक्तिक अंगरक्षक उपस्थित रहें।

इस क्रम में सर्व प्रथम समय रात्रि 1:00–1:30 बजे के मध्य वाह्य न्यायालय, सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट कालपी के भवन व परिसर की जाँच की गई। निरीक्षण कार्यवाही के दौरान रात्रिकालीन चौकीदार सुभाष श्रीवास्तव न्यायालय परिसर के बरामदे में सोते हुये पाये गये, जिन्हे मौखिक रूप से सख्त चेतावनी देते हुये कर्तव्य निर्वहन के प्रति गम्भीर व सचेष्ट रहने का निर्देश दिया गया।

तत्पश्चात् समय रात्रि 2:00 बजे से 2:45 बजे के मध्य जनपद न्यायालय जालौन स्थान उरई के सम्पूर्ण परिसर व भवन का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पूरे परिसर में भ्रमण कर जाँच की गई, किन्तु तत्काल कोई भी रात्रिकालीन चौकीदार ड्यूटी पर चिन्हित नहीं किया जा सका। लगभग 15 मिनट के उपरान्त रात्रि कालीन चौकीदार मनमोहन मेरे समक्ष उपस्थित आये तथा उनके द्वारा अपने साथ अन्य दो रात्रिकालीन चौकीदार क्रमशः त्रिलोक सिंह यादव तथा कलीमुद्दीन को ड्यूटी पर होना बताया गया, किन्तु उपरोक्त दोनों चौकीदारों की उपस्थिति के संबंध में पूछने पर अस्पष्ट उत्तर दिया गया। निरीक्षण के क्रम में दस कक्षीय न्यायालय भवन के अन्दर प्रवेश कर जाँच किये जाने पर जनपद न्यायाधीश न्यायालय कक्ष के सामने स्थित बरामदे में बिस्तर पड़ा हुआ पाया गया, जिससे स्पष्ट है कि दोनों रात्रिकालीन चौकीदार त्रिलोक सिंह यादव तथा कलीमुद्दीन, तीसरे चौकीदार मनमोहन के सहयोग से ड्यूटी के समय सो रहे थे। उपरोक्त दोनों रात्रिकालीन चौकीदारों के सोने की समुचित जानकारी रात्रिकालीन चौकीदार मनमोहन को रही है, किन्तु उनके द्वारा जानबूझकर छिपाने के आशय से सही जानकारी नहीं दी गई। उपरोक्त तीनों रात्रिकालीन चौकीदारों को सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित कर्तव्य के प्रति सजग व गम्भीर रहने की चेतावनी सख्ती से दी गई।

पुनः समय 3:45 बजे से लेकर समय 4:10 बजे तक मेरे द्वारा जनपद न्यायाधीश आवासीय परिसर स्थित कैम्प कार्यालय का भी निरीक्षण किया गया तथा दौरान निरीक्षण रात्रिकालीन चौकीदार श्रीबाबू कैम्प कार्यालय में स्थित गार्डरूम में सोते हुये पाये गये।

उपरोक्त रात्रिकालीन चौकीदारों का कृत्य अत्यन्त आपत्तिजनक, न्यायालय परिसर तथा कैम्प कार्यालय परिसर की सुरक्षा में गम्भीर चूक तथा सुरक्षा व्यवस्था जैसे अति गम्भीर व संवेदनशील मामले में उदासीनता व लापरवाही दर्शित करता है।

प्रभारी अधिकारी नजारत को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त रात्रिकालीन चौकीदारों की कार्य के प्रति उदासीनता व लापरवाही के संबंध में जरिये नोटिस स्पष्टीकरण आहूत कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं भविष्य में न्यायालय परिसर व भवन की सुरक्षा व्यवस्था में ऐसे चूक की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से नियमित अंतराल पर स्वयं व केन्द्रीय नाजिर के माध्यम से आकस्मिक निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या मेरे कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। प्रभारी अधिकारी नजारत, इस संबंध में न्यायालय परिसर में लगे सी.सी.टी.वी. कैमरों के फुटेज के माध्यम से भी रात्रिकालीन चौकीदारों की गतिविधि व कार्य प्रणाली पर समुचित नियंत्रण रखना सुनिश्चित करें।

(अशोक कुमार सिंह)
जनपद न्यायाधीश,
जालौन स्थान उरई।
दिनांक 24.02.2020

District Judge
Jalaun at Orai

प्रभारी अधिकारी
नजारत
जनपद न्यायालय
जालौन स्थान उरई

कार्यालय— नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई।

नोटिस

बनाम

श्री सुबाश चन्द्र श्रीवास्तव,
रात्रिकालीन चौकीदार
न्यायालय सिविल जज(जू0डि0) कालपी जिला जालौन।

दिनाँक 23.02.2020 को आपकी ड्यूटी न्यायालय सिविल जज(जू0डि0) कालपी परिसर में चौकीदार हेतु नियत रही, किन्तु माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा दिनांक 23.02.2020/24.02.2020 की रात्रि में समय 01:15 बजे परिसर का आकस्मिक निरीक्षण किये जाने के समय आप अनुपस्थित पाये गये एवं बाद में न्यायालय सिविल जज(जू0डि0) कालपी परिसर में आप सोते हुये मिले। आपका यह कृत्य अत्यन्त आपत्ति जनक तथा न्यायालय परिसर की सुरक्षा में गम्भीर चूक है तथा आप द्वारा न्यायालय परिसर की सुरक्षा जैसे अत्यन्त गम्भीर व संवेदनशील मामले में लापरवाही दर्शित की गई है।

अतः आप लिखित स्पष्टीकरण कल दिनांक 25.02.2020 को 10:00 बजे तक प्रातः मुझ अधोहस्ताक्षरित/प्रभारी अधिकारी नजारत के समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न सेवा व कर्तव्य निर्वहन में लोप व लापरवाही का दोषी मानते हुये आपके प्रतिकूल विभागीय कार्यवाही की जाय। निर्धारित समयावधि के अधीन स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने की दशा में यह उपधारित करने का पर्याप्त आधार होगा कि आपको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार कार्यवाही अग्रसारित कर दी जायेगी।

(प्रकाश तिवारी)
प्रभारी अधिकारी नजारत/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(आवश्यक वस्तु अधिनियम)
जालौन स्थान उरई।

प्रभारी अधिकारी
नजारत
जनपद न्यायालय
जालौन स्थान उरई

24-02-120

कार्यालय– नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई।

नोटिस

बनाम

श्री श्रीबाबू,
रात्रिकालीन चौकीदार
माननीय जनपद न्यायाधीश,
कैम्प कार्यालय जालौन स्थान उरई।

दिनाँक 23.02.2020 को आपकी ड्यूटी कैम्प कार्यालय परिसर में चौकीदार हेतु समय रात्रि 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक नियत रही, किन्तु माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा दिनांक 23.02.2020/24.02.2020 की रात्रि में समय 04:00 बजे कैम्प कार्यालय परिसर का आकस्मिक निरीक्षण किये जाने के समय आप अनुपस्थित पाये गये एवं बाद में कैम्प कार्यालय में स्थित गार्डरूम में आप सोते हुये मिले। आपका यह कृत्य अत्यन्त आपत्ति जनक तथा कैम्प कार्यालय परिसर की सुरक्षा में गम्भीर चूक है तथा आप द्वारा कैम्प कार्यालय के परिसर की सुरक्षा जैसे अत्यन्त गम्भीर व संवेदनशील मामले में लापरवाही दर्शित की गई है।

अतः आप लिखित स्पष्टीकरण कल दिनांक 25.02.2020 को 10:00 बजे तक प्रातः मुझ अधोहस्ताक्षरित/प्रभारी अधिकारी नजारत के समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न सेवा व कर्तव्य निर्वहन में लोप व लापरवाही का दोषी मानते हुये आपके प्रतिकूल विभागीय कार्यवाही की जाय। निर्धारित समयावधि के अधीन स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने की दशा में यह उपधारित करने का पर्याप्त आधार होगा कि आपको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है एवं तद्नुसार कार्यवाही अग्रसारित कर दी जायेगी।

24/2/2020

(प्रकाश तिवारी)
प्रभारी अधिकारी नजारत/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(आवश्यक वस्तु अधिनियम)
जालौन स्थान उरई।

प्रभारी अधिकारी
नजारत
जनपद न्यायालय
जालौन स्थान उरई

श्रीबाबू

कार्यालय– नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई।

नोटिस

बनाम

श्री त्रिलोक सिंह यादव,
रात्रिकालीन चौकीदार
जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई।

दिनाँक 23.02.2020 को आपकी ड्यूटी न्यायालय परिसर में चौकीदार हेतु समय रात्रि 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक नियत रही, किन्तु माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा दिनांक 23.02.2020/24.02.2020 की रात्रि में समय 02:15 बजे परिसर का आकस्मिक निरीक्षण किये जाने के समय आप अनुपस्थित पाये गये एवं बाद में माननीय जनपद न्यायाधीश के न्यायालय के सामने आप सोते हुये मिले। आपका यह कृत्य अत्यन्त आपत्ति जनक तथा न्यायालय परिसर की सुरक्षा में गम्भीर चूक है तथा आप द्वारा न्यायालय परिसर की सुरक्षा जैसे अत्यन्त गम्भीर व संवेदनशील मामले में लापरवाही दर्शित की गई है।

अतः आप लिखित स्पष्टीकरण कल दिनांक 25.02.2020 को 10:00 बजे तक प्रातः मुझ अधोहस्ताक्षरित/प्रभारी अधिकारी नजारत के समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न सेवा व कर्तव्य निर्वहन में लोप व लापरवाही का दोषी मानते हुये आपके प्रतिकूल विभागीय कार्यवाही की जाय। निर्धारित समयावधि के अधीन स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने की दशा में यह उपधारित करने का पर्याप्त आधार होगा कि आपको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार कार्यवाही अग्रसारित कर दी जायेगी।

(प्रकाश तिवारी)
प्रभारी अधिकारी नजारत/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(आवश्यक वस्तु अधिनियम)
जालौन स्थान उरई।

प्रभारी अधिकारी
नजारत
जनपद न्यायालय
जालौन स्थान उरई

श्रीमानजी एक प्रति प्राप्त की।
T.S.Y
24/2/2020

कार्यालय– नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई।

नोटिस

बनाम

श्री मनमोहन,
रात्रिकालीन चौकीदार
जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई।

दिनाँक 23.02.2020 को आपकी ड्यूटी न्यायालय परिसर में चौकीदार हेतु समय रात्रि 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक नियत रही, किन्तु माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा दिनांक 23.02.2020/24.02.2020 की रात्रि में समय 02:15 बजे परिसर का आकस्मिक निरीक्षण किये जाने के समय आप अनुपस्थित पाये गये एवं बाद में माननीय जनपद न्यायाधीश के न्यायालय के सामने आप सोते हुये मिले। आपका यह कृत्य अत्यन्त आपत्ति जनक तथा न्यायालय परिसर की सुरक्षा में गम्भीर चूक है तथा आप द्वारा न्यायालय परिसर की सुरक्षा जैसे अत्यन्त गम्भीर व संवेदनशील मामले में लापरवाही दर्शित की गई है।

अतः आप लिखित स्पष्टीकरण कल दिनांक 25.02.2020 को 10:00 बजे तक प्रातः मुझ अधोहस्ताक्षरित/प्रभारी अधिकारी नजारत के समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न सेवा व कर्तव्य निर्वहन में लोप व लापरवाही का दोषी मानते हुये आपके प्रतिकूल विभागीय कार्यवाही की जाय। निर्धारित समयावधि के अधीन स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने की दशा में यह उपधारित करने का पर्याप्त आधार होगा कि आपको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार कार्यवाही अग्रसारित कर दी जायेगी।

श्री मान जी
प्राप्त की
मनमोहन
24-02-2020

24/2/2020

(प्रकाश तिवारी)
प्रभारी अधिकारी नजारत/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(आवश्यक वस्तु अधिनियम)
जालौन स्थान उरई।

प्रभारी अधिकारी
नजारत
जनपद न्यायालय
जालौन स्थान उरई

कार्यालय– नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई।

नोटिस

बनाम

श्री कलीमउद्दीन,
रात्रिकालीन चौकीदार,
जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई।

दिनाँक 23.02.2020 को आपकी ड्यूटी न्यायालय परिसर में चौकीदार हेतु समय रात्रि 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक नियत रही, किन्तु माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा दिनांक 23.02.2020/24.02.2020 की रात्रि में समय 02:15 बजे परिसर का आकस्मिक निरीक्षण किये जाने के समय आप अनुपस्थित पाये गये एवं बाद में माननीय जनपद न्यायाधीश के न्यायालय के सामने आप सोते हुये मिले। आपका यह कृत्य अत्यन्त आपत्ति जनक तथा न्यायालय परिसर की सुरक्षा में गम्भीर चूक है तथा आप द्वारा न्यायालय परिसर की सुरक्षा जैसे अत्यन्त गम्भीर व संवेदनशील मामले में लापरवाही दर्शित की गई है।

अतः आप लिखित स्पष्टीकरण कल दिनांक 25.02.2020 को 10:00 बजे तक प्रातः मुझ अधोहस्ताक्षरित/प्रभारी अधिकारी नजारत के समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न सेवा व कर्तव्य निर्वहन में लोप व लापरवाही का दोषी मानते हुये आपके प्रतिकूल विभागीय कार्यवाही की जाय। निर्धारित समयावधि के अधीन स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने की दशा में यह उपधारित करने का पर्याप्त आधार होगा कि आपको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है एवं तद्नुसार कार्यवाही अग्रसारित कर दी जायेगी।

(प्रकाश तिवारी)
प्रभारी अधिकारी नजारत/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(आवश्यक वस्तु अधिनियम)
जालौन स्थान उरई।

प्रभारी अधिकारी
नजारत
जनपद न्यायालय
जालौन स्थान उरई

श्रीमानजी,
नोटिस प्राप्त किया।
कु० कलीम उद्दीन
24/02/2020

सेवा में

श्रीमान प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आवश्यक वस्तु अधिनियम
जनपद - गाजीपुर उ.प्र.

द्वारा - [illegible] राम पुत्र श्री [illegible] कार्यालय

विषय - आदेश दिनांक 24-2-2020 के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

महोदय प्रार्थी दिनांक 23-02-2020 रात को करीब ब्लड प्रेशर की बिमारी से ग्रसित है। तब प्रार्थी ने अस्पताल से दिखवाना चाहने के लिए सोचा जाने समय हुआ देरी थी। फिर भी प्रार्थी की हालत लगभग एक बजे तक दिखाना ड्यूटी की थी। उसके उपरान्त प्रार्थी का सर भी दर्द करने लगा।
प्रार्थी को रक्त से चक्कर आने लगे तब प्रार्थी आराम करने के उद्देश्य से अपने बिस्तर पर लेट गया था। कुछ समय बाद भी ठीक प्रार्थी को दिनांक 23-2-2020 व दिनांक 24-2-2020 को रात्रि श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किये जाने का आभास हुआ। चूँकि प्रार्थी अस्वस्थ होते हुए भी अपनी ड्यूटी करते रहा था।
उक्त प्रार्थी ने श्रीमान जनपद न्यायाधीश को मौखिक रूप से आश्वासन दिया था कि भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, जो होगी,
प्रार्थी ब्लड प्रेशर का व चक्कर रोग से पीड़ित है, जिसके कारण प्रार्थी अस्वस्थ रहता है।

प्रार्थी दिनांक 23-02-2020 व दिनांक 24-2-2020 को ग्राम ड्यूटी करते समय सेवा की जो गलती हुई है। इसके लिए प्रार्थी क्षमा मांगता है और भविष्य में पुनः उक्त गलती न होने का आश्वासन देता है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि श्रीमान जी द्वारा प्रार्थी के नाम नोटिस दिनांक 24-2-2020 प्रदान कराया गया है। उक्त नोटिस के प्रकरण में क्षमा करते हुए निस्तारित करने की कृपा किया जावे।

प्रार्थी - सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव
रात्रि चौकीदार
कार्यालय - सिविल जज जू० डि० कालपी
कालपी - जनपद - जालौन

दिनांक - 27-02-2020

आदेशार्थ सादर प्रस्तुत =

श्रीमान जी की सेवा में
सादर प्रस्तुत है।
[signature] 27/02/2020
सिविल जज जू० डि०
कालपी

Seen, forwarded to Registrar DJ for further/necessary action/direction.
[signature]

प्रेषक,

दानवीर सिंह,
सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कालपी, जिला जालौन।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी नजारत/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम),
जालौन स्थान उरई।

विषय- माननीय महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 24.02.2020 के संबंध में श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव रात्रिकालीन चौकीदार न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) कालपी, जिला जालौन के नोटिस के स्पष्टीकरण का प्रेषण-

माननीय महोदय,

ससम्मानपूर्वक विनम्र निवेदन है कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा दिनांक 23.02.2020/24.02.2020 की रात्रि में समय 01.15 बजे इस न्यायालय परिसर का आकस्मिक निरीक्षण करने पर रात्रिकालीन चौकीदार श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव के सोते हुये पाये जाने के संबंध में आपके द्वारा पारित आदेश/नोटिस दिनांकित 24.02.2020 के अनुपालन में श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव रात्रिकालीन चौकीदार का स्पष्टीकरण चाहा गया है। अतः श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव रात्रिकालीन चौकीदार का स्पष्टीकरण माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित किया जा रहा है।

सादर।

भवदीय,
Danvir Singh
29/02/2020
(दानवीर सिंह)
सिविल जज (जू०डि०)/जे.एम.
कालपी, जिला जालौन।

दिनांक-29.02.2020
संलग्नक- यथोक्त

सेवा में

श्रीमान प्रभारी अधिकारी नजारत,

जनपद न्यायालय जालौन स्थान उरई

द्वारा श्रीमान सिविल जज जूनियर डिवीजन कालपी

विषय — श्रीमान जी के आदेश दिनांक 24-2-2020 के अनुपालन में स्थानान्तरण होने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करने के सम्बन्ध में

महोदय प्रार्थी न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन कालपी में पद चौकीदार के पद पर कार्यरत है।

प्रार्थी के श्रीमान जी द्वारा स्थानान्तरण आदेश किया गया था। दिनांक 25-02-2020 को प्रार्थी स्थानान्तरण रिपोर्ट कर दिया गया है।

श्रीमान जी से करबद्ध निवेदन है कि प्रार्थी को स्थानान्तरण में होने के लिए तीन दिन का समय देने की कृपा करें। प्रार्थी आपका आभारी रहेगा।

श्रीमान जनपद न्यायाधीश
सादर अग्रसारित।
25/02/20
सिविल जज जू० डि०
कालपी

प्रार्थी - सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव
पद चौकीदार
न्यायालय — सिविल जज जू० डि० कालपी जि० जालौन

प्रभारी अधिकारी
नजारत
जनपद न्यायालय
जालौन स्थान उरई

सेवा मे
श्रीमान प्रभारी अधिकारी महोदय
नजारत अनुभाग जनपद न्यायालय
जालौन स्थान उरई

विषय - नोटिस दि० 23/02/2020 के सम्बन्ध मे प्रार्थी का स्पष्टीकरण श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत है।

महोदय

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी दि० 23/02/2020 को प्रतिदिन की भांति प्रार्थी समय से अपनी ड्यूटी पर उपस्थित था उसी बीच माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आकस्मिक निरिक्षण दि० 23/02/2020/24/02/2020 की रात्रि 2:15 पर करने के लिये आये प्रार्थी संयोग से शौच के लिये बाथरूम मे गया था तो किसी के आने का आभास हुआ कि शायद कोई व्यक्ति परिसर भवन मे गया हो तो प्रार्थी ने तुरन्त बहार आया और मनमोहन से पूछा कि अन्दर कौन गया है तो पता चला की माननीय महोदय का निरिक्षण हुआ है माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय जी ने प्रार्थी को गेट पर उपस्थित पाया।

प्रार्थी ने अपने सेवा काल मे अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाही का दोषी नही पाया गया है प्रार्थी अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ करता रहा है और करता रहेगा।

नोटिस के सम्बन्ध मे प्रार्थी का स्पष्टीकरण माननीय महोदय की सेवा मे सादर प्रस्तुत है।

सादर सहित

प्रार्थी
त्रिलोक सिंह यादव
(रात्रिकालीन चौकीदार)
जनपद न्यायालय
जालौन स्थान उरई

Sub-forwarded to Ld. DJ. for kind information.
25/2/2020

सेवा में,

माननीय प्रभारी अधिकारी महोदय,
नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय,
जालौन स्थान उरई,

विषय– प्रार्थी को प्राप्त कराए गए नोटिस दिनांक-23/02/2020 के सन्दर्भ मे स्पष्टीकरण प्रार्थना-पत्र

महोदय

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी दिनांक 23/02/2020 को रात्रि 10बजे से प्रात:06 बजे तक अपनी ड्यूटी पर उपस्थित था। जब माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय जी आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए दिनांक 23/02/2020/24/02/2020 की रात्रि 2:15बजे अपने गनर श्री गौतम जी व ड्राइवर श्री ईश्वर जी के साथ न्यायालय परिसर मे आए थे उस समय प्रार्थी अधिवक्ता बिल्डींग के चैम्बर नम्बर-05 के पास लगे सुरक्षा कैमरे के समीप अपनी डियूटी स्थान पर जागते हुए उपस्थित पाया गया था।

प्रार्थी कभी-भी अपने पूर्व के सेवाकाल में डियूटी के प्रति लापरवाही का दोषी नही पाया गया है। प्रार्थी अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी व सतर्कता के साथ करता रहा है। और करता रहेगा। नोटिस के सन्दर्भ में प्रार्थी का स्पष्टीकरण माननीय महोदय की सेवा मे सादर प्रस्तुत है।

सम्मान सहित।।

perused. forwarded to Regr DJ for further action please.
25/2/2020.

प्रार्थी
मनमोहन
रात्रिकालीन चौकीदार
जनपद न्यायालय
जालौन स्थान उरई
दिनांक-25/02/2020

सेवामें,

श्रीमान प्रभारी अधिकारी महोदय
नजारत, जिला जजी उरई, जालौन

महोदय,

निवेदन है कि श्रीमानजी द्वारा प्रार्थी को दिये गये नोटिस दिनांक-24-2-2020के सम्बन्ध में विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी दिनांक 23/24-02-2020 की रात्रि में कैम्प कार्यालय परिसर में चौकीदारी की डियुटी कर रहा था परन्तु प्रार्थी को आधीरात के बाद ज्वर - होने लगा था जिसके कारण प्रार्थी 4:00बजे प्रातः में गार्ड रूम के में लेट गया थ। जिससे नींद आ गयी थी।

प्रार्थी श्रीमानजी से प्रार्थना है कि प्रार्थी की इस भूल को क्षमा करने की महती कृपा करें, प्रार्थी भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगा।

प्रार्थी
श्रीबाबू
श्रीबाबू सिंह
चतुर्थ-श्रेणी कर्मचारी, जिला जजी उरई
जनपद जालौन

दिनांक- 25-2-2020

[handwritten endorsement, partly illegible] 25/2/2020

सेवा में,

माननीय प्रभारी अधिकारी,
नजारत
जनपद न्यायालय जालौन स्थान उरई

विषय - नोटिस दिनांक 24/02/2020 के अनुसार मांगे गये स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में

महोदय, विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी दिनांक 23/02/020/24/02/020 की रात्रि में ड्यूटी के दौरान अस्वस्थ होने के कारण जिला चिकित्सालय के चिकित्सक द्वारा दी हुई दवाई खाने से थोड़ी सुस्ती आ रही थी, इस कारण मैं कुछ समय के लिये लेट गया था, इसी दौरान कुछ लोगों की फाटक ठोकी तो मैं बाहर आया और मेरी भेंट माननीय जिला न्यायाधीश महोदय से हुई। प्रार्थी अपनी ड्यूटी के प्रति सदैव सजग रहा है, पर अस्वस्थ होने की वजह से प्रार्थी लेट गया था।

प्रार्थी पर क्षमा करने की कृपा करें।

प्रार्थी जिला चिकित्सालय के चिकित्सक का पर्चा भी लगा रहा है।

दिनांक - 25/02/2020

प्रार्थी
मु० कलीम उद्दीन
रात्रिकालीन चौकीदार

Seen forwarded to Reg. DJ
[signature] 25/2/2020

छोटा परिवार सुखी परिवार

जिला चिकित्सालय उरई

वाहय रोगी पर्चा

नम्बर 37/44

रोगी का नाम........ कलीम उद्दीन .... उम्र 39

स्त्री/पुरुष........

दिनाँक	लक्षण तथा उपचार
22 FEB 2020	Chronic ...

एड्स की जानकारी ही बचाव है।

हर रविवार - मच्छरों पर वार

नोट- यह पर्चा बनने के दिनांक से 15 दिन तक मान्य है।